

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी  
उनवान

लालाराम पुत्र मोतीराम कौम सीरवी निवासी उन्दरथल  
बनाम

पेमाराम पुत्र लालाराम कौम सीरवी निवासी उन्दरथल

दावा बाबत - बंटवारा राजकाशत 0 अधि 0 1955 धारा 53

मुकदमा नम्बर :-

निर्णय दिनांक :- 02/06/2016

वादी लालाराम पुत्र मोतीराम कौम सीरवी निवासी उन्दरथल व प्रतिवादी पेमाराम पुत्र लालाराम कौम सीरवी निवासी उन्दरथल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02/06/2016 को. पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

लालाराम पुत्र मोतीराम कौम सीरवी सा. देह खातेदार के नाम ग्राम उन्दरथल पटवार वृत्त बडौद तहसील देसूरी के ख.न. 41/3 रकबा 1.33 है. किस्म चा.प्र.जा.अ. लगान 0.33 एवं 1.00 व पेमाराम नेनाराम फुआराम पि. लालाराम कौम सीरवी सा.देह खातेदार के नाम ग्राम उन्दरथल पटवार वृत्त बडौद तहसील देसूरी के ख.न. 41 रकबा 1.33 है. किस्म चा.प्र.जा.अ. लगान 0.33 एवं 1.00 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। **रहन अपने अपने हिस्सा अनुसार बदलुर रहेगा /**

यह डिक्री आज दिनांक 02/06/2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड सहायक कलक्टर, देसूरी  
दिनांक -02/06/2016

क्रमांक/शिविर/2016/

प्रतिलिपि :-

1.तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

(पीठासीन अधिकारी)  
(पर्वत सिंह चूण्डावत)  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड सहायक कलक्टर